फोन नं0 0522 2208757
फैक्स नं0 0522 2208769

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
प्रधान कार्यालय 4 ए गोखले मार्ग
लखनऊ

पत्र संख्या 45 /म0प्र0(वित्त)/मध्यांचल/कैम्प   दिनाँक 31-08 -2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– कम्पनी कार्यों हेतु किराये पर उपयुक्त वाहन रखना।

इस कार्यालय के पत्र संख्या 1716/म0प्र0(वि0)/मध्यांचल दिनांक 22.07.2009 द्वारा निगमीय आदेशों के अन्तर्गत वाहन हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को कम्पनी के कार्य सम्पादित करने के लिये बाह्य एजेन्सी से किराये के वाहन रखने की अनुमति दिनाँक 30.09.2009 तक के लिए प्रदान की गयी थी।

उक्त प्रदत्त अनुमति एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 667–प्रनि/मविविनिलि/कैम्प दिनाँक 24.08.2009 के तारतम्य में संदर्भगत पत्रों में निहित शर्तो एवं प्राविधानो के अन्तर्गत किराये के वाहन रखने के लिए निम्नलिखित अधिकारी उनके सम्मुख अंकित अधिकतम मासिक दूरी तक यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगें, जिसके लिए अलग से प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय लिंकेज प्राप्त करने की आवश्यकता नही होगीः–

क्र0सं0	अधिकारी का पद नाम	अधिकतम मासिक दूरी
1.	मुख्य अभियंता (वितरण)	यथा आवश्यक
2.	अधीक्षण अभियंता वितरण (नगरीय)	1500 कि0मी0
3.	अधीक्षण अभियंता वितरण (ग्रामीण क्षेत्र)	2000 कि0मी0
4.	अधीक्षण अभियंता (भण्डार).	2000 कि0मी0
5.	अधीक्षण अभियंता कार्य मण्डल	2500 कि0मी0
6.	अधीक्षण अभियंता जानपद वितरण	2500 कि0मी0
7.	अधिशासी अभियंता वितरण (नगरीय)	1250 कि0मी0
8.	अधिशासी अभियंता वितरण (ग्रामीण)	1800 कि0मी0
9.	अधिशासी अभियंता परीक्षण (नगरीय)	1200 कि0मी0
10.	अधिशासी अभियंता परीक्षण (ग्रामीण)	1500 कि0मी0
11.	अधिशासी अभियंता कार्यशाला खण्ड (नगरीय)	1000 कि0मी0
12.	अधिशासी अभियंता कार्यशाला खण्ड (ग्रामीण)	1800 कि0मी0
13.	अधिशासी अभियंता माध्यमिक कार्य खण्ड	1800 कि0मी0
14.	अधिशासी अभियंता भण्डार	1500 कि0मी0
15.	अधिशासी अभियंता जानपद	1800 कि0मी0

क्रमशः........2

16.	अधिशासी अभियंता निर्माण (लेसा)	1500 कि0मी0
17.	उपखण्ड अधिकारी (नगरीय)	1200 कि0मी0
18.	उपखण्ड अधिकारी (ग्रामीण)	1500 कि0मी0
19.	सहायक अभियंता मीटर (नगरीय)	1500 कि0मी0
20.	सहायक अभियंता मीटर (ग्रामीण)	1800 कि0मी0
21.	सहायक अभियंता निर्माण	1200 कि0मी0

उपरोक्तानुसार वाहन के प्रयोग हेतु निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए:-

1. वाहन का मासिक किराया वर्तमान में अनुमन्य किराये से किसी भी दशा में अधिक नही होगा।
2. समस्त उपखण्ड अधिकारी सीढ़ी युक्त डीजल चालित जीपनुमा वाहन, जिसपर आवश्यकता पड़ने पर सीढ़ी लगायी जा सके, ही किराये पर रखने के लिये अधिकृत होंगे।
3. ग्रामीण विद्युत वितरण खण्डों के अधिशासी अभियंता भी डीजल चालित जीपनुमा वाहन ही किराये पर रखने के लिये अधिकृत होंगे।
4. किराये के वाहन का माडल 3 वर्ष से अधिक पुराना न हो।
5. किराये के वाहनो का माइलेज जीप हेतु 12 कि0मी0 प्रति लीटर डीजल एवं कार हेतु 16 कि0मी0 प्रति लीटर डीजल से कम अनुमन्य नही होगा।
6. यद्यपि मुख्य अभियंता वितरण के लिये मासिक अधिकतम दूरी सीमा नही रखी गयी है, तथापि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह कम्पनी कार्य हित एवं मितव्ययिता सम्बन्धी निर्गत आदेशों के दृष्टिगत वाहन का उपयोग करेंगे।
7. शेष अधिकारियों हेतु उपरोक्तानुसार अनुमन्य अधिकतम मासिक दूरी से अधिक दूरी होने पर औचित्य के साथ टिप्पणी प्रस्तुत कर सम्बन्धित मुख्य अभियंता वितरण से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
8. भण्डार संगठन के मामले में अनुमन्यता से अधिक दूरी होने पर निदेशक (तकनीकी) से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. परिक्षेत्रीय उप मुख्य लेखाधिकारियों को तैनाती स्थल से विभागीय कार्य हित में यात्रा हेतु वाहन उपयोग के लिये सम्बन्धित मुख्य अभियंता वितरण से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
10. कम्पनी मुख्यालय पर तैनात ऐसे अधिकारियों, जिन्हें वाहन उपयोग अधिकृत नही है, को कम्पनी कार्य हेतु यात्रा करने की स्थिति में वाहन के उपयोग के लिये अनुमति निदेशक (तकनीकी) द्वारा आवश्यकतानुसार निर्गत की जायेगी।
11. दो सहायक अभियंता मीटर के मध्य उपरोक्तानुसार कुल मासिक अधिकतम दूरी की सीमा तक एक डीजल चालित जीप ही किराये की अनुमन्य होगी।
12. एक ही मुख्यालय पर एक अधिशासी अभियंता (परीक्षण) एवं एक सहायक अभियंता (मीटर) तैनात होने की दशा में दोनो के मध्य उपरोक्तानुसार कुल मासिक अधिकतम दूरी की सीमा तक एक ही डीजल चालित जीप अनुमन्य होगी।

क्रमशः......3

13. जिन अधिकारियों को कम्पनी का वाहन आवंटित है, उन्हें किराये का वाहन अनुमन्य नहीं होगा। अधिकतम दूरी की उपरोक्त सीमायें इन अधिकारियों पर भी यथावत लागू होगीं।

14. वाहन के मासिक किराये का भुगतान परिचालन अनुरक्षण एवं कन्टेन्जेन्सी मद में मासिक आवंटित धनराशि से किया जायेगा। इसके लिये अलग से धन निर्गत नहीं किया जायेगा।

(भुवनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्या 45 /म0प्र0(वित्त)/मध्यॉंचल/तद्दिनॉंकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, मध्यॉंचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता (वितरण), मध्यॉंचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/लेसा/बरेली/फैजाबाद।
3. समस्त अधीक्षण अभियंता, (वितरण) नगरीय/ग्रामीण, कार्य, जानपद, भण्डार मध्यॉंचल विद्युत वितरण निगम लि0।
4. समस्त अधिशासी अभियंता, (वितरण) नगरीय/ग्रामीण, परीक्षण, कार्यशाला, माध्यमिक कार्य, भण्डार, जानपद, निर्माण, मध्यॉंचल विद्युत वितरण निगम लि0।

प्रबन्ध निदेशक